भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2633

16 दिसम्बर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: अपर्याप्त भंडारण के कारण शीघ्र नष्ट होने वाली फसलों का नुकसान

2633. श्री अनूप संजय धोत्रेः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान किसानों द्वारा उत्पादित शीघ्र नष्ट होने वाली फसलों, विशेषकर प्याज, नींबू और केले की मात्रा और मूल्य तथा अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं के कारण फसल कटाई के बाद के नुकसान संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ख) किसानों को उक्त शीघ्र नष्ट होने वाली फसलों के लिए उनके संबंधित कटाई महीनों के दौरान प्राप्त बाजार मूल्यों के साथ-साथ पूरे वर्ष के औसत बाजार मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्याज, नींबू और केले जैसी शीघ्र नष्ट होने वाली इन फसलों के लिए आवश्यक विशेष प्रकार की भंडारण सुविधाओं के निर्माण हेतु उपलब्ध किसी भी योजना या विशेष प्रोत्साहन का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) किसानों द्वारा उत्पादित प्याज, नींबू और केले सहित शीघ्र नष्ट होने वाली फसलों की जीवनावधि को बढ़ाने की संभावना, एकमुश्त निवेश और व्यापक रूप से किसानों को लाभ पहुंचाने के संबंध में किए गए किसी भी अध्ययन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने "भारत में कृषि उपज के फसलोपरांत होने वाले नुकसान का निर्धारण करने के लिए एक अध्ययन" शुरू किया है। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि फलों और सब्जियों का उत्पादन 255.56 मिलियन मीट्रिक टन था, जिसमें फसलोपरांत 19.33 मिलियन मीट्रिक टन का नुकसान हुआ, जिसका मूल्य 57,004.15 करोड़ रुपये था। केले, खट्टे फलों (नींबू सहित) और प्याज के लिए, वर्ष 2020-21 के उत्पादन और अनुमानित भौतिक और मौद्रिक नुकसान इस प्रकार हैं:

उपज	उत्पादन एमएमटी में	नुकसान एमएमटी में (एनएबीकॉन की वर्ष 2022 की रिपोर्ट)	घाटा करोड़ों रुपये में (एनएबीकॉन की वर्ष 2022 की रिपोर्ट)	सीआईपीएचईटी की 2015 रिपोर्ट के अनुसार से बचत (करोड़ रुपये में)
केला	33.06	2.50	5777.01	145
नींबू सहित खट्टे फल	14.24	1.10	4347.13	1116.38
प्याज	26.64	1.93	5156.32	667.62

मिशन मोड में योजनाओं के कार्यान्वयन, उन्नत फसलोपरांत प्रौद्योगिकी को अपनाने, बेहतर भंडारण इन्फ्रास्ट्रक्चर और किसानों के बीच प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ाने के कारण, फसलोपरांत होने वाले नुकसान में पहले के अनुमानों की तुलना में काफी कमी आई है।

(ख) एवं (ग): भारत में, केले, नींबू और प्याज की कटाई और आवक पूरे वर्ष चलती रहती है। संबंधित कटाई महीनों के दौरान किसानों द्वारा प्राप्त औसत मूल्य सहित माह-वार अखिल भारतीय भारित औसत मूल्य, का विवरण अनुबंध में दिया गया हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कई योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है जिनके तहत प्याज, नींबू और केले जैसी शीघ्र खराब होने वाली फसलों सहित कृषि उत्पादों के भंडारण और फसलोपरांत के इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इनमें आईएसएएम के तहत एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) जिनमें एपीएमसी, सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र में विपणन और भंडारण इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना; समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) -जिनमें बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के निर्माण और आधुनिकीकरण शामिल है; और एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) जिसके तहत कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चैम्बर और पैकिंग हाउस जैसी फसलोपरांत सुविधाओं के निर्माण के लिए ब्याज छूट और ऋण गारंटी सहित रियायती ऋण प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएस), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिककरण योजना (पीएमएमएफएमई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआईएस-एफपीआई) योजना के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला और प्रसंस्करण इन्फ्रास्ट्रक्चर में सहायता प्रदान करता है।

इन उपायों का उद्देश्य अपव्यय को कम करना, वैज्ञानिक भंडारण और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, निर्यात क्षमता को बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना है।

(घ): वैज्ञानिक भंडारण और तापमान एवं आर्द्रता के नियंत्रण से प्याज, नींबू और केले जैसी जल्दी खराब होने वाली फसलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। एआईएफ और एमआईडीएच ने ऐसी पहलों का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कृषि और संबद्ध क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-आरएएफटीएआर) स्टार्ट-अप कार्यक्रम भी फसलोपरांत बेहतर प्रबंधन के लिए नवाचारों का समर्थन करता है।

अनुबंध

औसत कीमतों सहित माह-वार अखिल भारतीय भारित औसत मॉडल कीमतें

महीना	**मूल्य (रु./क्विंटल)**		
	केला	**नीबूं**	**प्याज**
दिसंबर-2024	3574	3936	2716
जनवरी-2025	3893	3802	2086
फरवरी-2025	4168	4492	2090
मार्च-2025	3927	7070	1671
अप्रैल-2025	3640	7063	1115
मई-2025	3341	4218	1014
जून-2025	3443	2704	1225
जुलाई-2025	3112	2156	1235
अगस्त-2025	3270	2753	1255
सितंबर-2025	2583	2852	1077
अक्तूबर-2025	2349	2391	1059
नवंबर-2025	4134	3330	1066
औसत वार्षिक मूल्य	**3453**	**3897**	**1467**

स्रोत: एगमार्कनेट

*****